

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर आरसीटी 25 / 2017

दांडिक प्रकरण क.-17 / 17

संस्थापित दिनांक-20.01.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-देवीलाल पुत्र कुन्जा अहिरवार उम्र 32 साल निवासी नानौन चंदेरी। <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 03.04.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456, 354 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी

आत्माबाई ने दिनांक 15.01.17 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को रात्रि आठ बजे जब वह घर के अंदर कमरे में सो रही थी तभी पीछे से देवीलाल अहिरवार घर में घुस आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। जब वह चिल्लाई तो उसका पति एवं उसका देवर कन्हैया राम एवं देवरानी पुष्पा आ गई जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 19/17 के अंतर्गत भादवि की धारा 456, 354 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 14.01.17 को समय 20.00 बजे फरियादी का घर ग्राम नानौन चंदेरी पर सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात् फरियादी आत्माबाई के निवासगृह में प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया आत्माबाई जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वर्तित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 तथा 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के

समर्थन में अ.सा. 01 आत्माबाई, अ.सा. 02 अशोक की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 आत्माबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसके पति अशोक का देवीलाल से झगडा हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि रात्रि आठ बजे जब वह अपने घर पर सो रही थी तब आरोपी उसके घर में घुस आया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड लिया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई तथा उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 पुलिस को देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 अशोक ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को देवीलाल से उसका झगडा हो गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ घटना कारित की थी। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी उसके घर में रात्रि में घुस आया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से उसकी पत्नी का हाथ पकड लिया था।

08— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया के घर में रात्रि में घुसकर उसका हाथ पकडकर आपराधिक बल का प्रयोग किया। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 456, 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

11— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)